झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग– (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

खण्ड 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।

2. संबद्ध अधिनियम यथा (संशोधित) की धारा–5. (i) एवं इसके परन्तुक का प्रतिस्थापन।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावनाः–

चूँकि राज्य के अन्तर्गत स्थानीय निकायों, राज्य के लोक उपक्रमों, राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन पदों एवं सभी वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने की शक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को नहीं रहने के कारण इन पदों पर नियुक्ति करना संभव नहीं हो पा रहा है। इनमें कई पदों पर राज्य हित में शीघ्र नियुक्ति करने की आवश्यकता है, और इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग को शक्ति प्रदान करने हेतु संगत अधिनियम में कतिपय संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

अतः भारत गणराज्य के 66 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

(1) संक्षिप्त नाम, एवं विस्तार और प्रारंभ–

(i) यह अधिनियम "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015" कहलाएगा।

(ii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 (यथा संशोधित) की धारा 5(i) एवं इसके परन्तुक संशोधित करते हुए प्रतिस्थापन :–

"5 (i) आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग–'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों के पदों, स्थानीय निकायों, राज्य के लोक उपक्रम, राज्य के विश्वविद्यालय के अधीन पदों एवं सभी वर्दीधारी पदों (युनिफार्म सेवा नियुक्ति पर्षद के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किये जाने तक), जिन पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, एवं जिसका चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है, पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा"।

यह विधेयक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 27 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 30--50--8-9-2015 ।